प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय, मुसाबनी।

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या– 01

समुचित श्रेणी में निबंधित संवेदकों से निम्नलिखित कार्यो के लिए परिमाण विपत्र पर मुहरबन्द निविदा आमंत्रण की जाती है।

1. विभाग–पंचायती राज।
2. विज्ञापनदाता का नाम–सचिव (पंचायत समिति)–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुसाबनी।
3. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि–29.10.2021 से 30.10.2021(कार्यालय अवधि) एवं दिनांक–30.10.2021को अपराह्न 01:00 बजे तक ही आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा।
4. निविदा प्राप्त करने की तिथि–01.11.2021 (पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे तक प्र0 वि0 पदाधिकारी कार्यालय, मुसाबनी)।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय–08.11.2021 (3:00 बजे अपराह्न)
6. परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय, मुसाबनी।
7. निविदा प्राप्ति का स्थान– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय, मुसाबनी।
8. मद्–15वें वित्त आयोग अनुदान की राशि।

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	योजनाओं का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	मुसाबनी	फॉरेस्ट ब्लॉक, ग्वाला बस्ती में कालाचाँद के घर के सामने चापाकल में सोलर जलमीनार निर्माण	494800.00	9896.00	750.00	1 माह
2	मुसाबनी	बेनाशोल, सोहदा लतारडीह भीमा टुडू के घर के सामने चापाकल में सोलर जलमीनार निर्माण	494800.00	9896.00	750.00	1 माह
3	मुसाबनी	फॉरेस्ट ब्लॉक, पाटकिता ग्राम में चापाकल में सोलर जलमीनार निर्माण	494800.00	9896.00	750.00	1 माह

नोटः–निविदा की शर्तें कार्यालय के सूचना पट एवं **htpps://jamshedpur.nic.in** पर देखी जा सकती है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
मुसाबनी।
27/10/2021

निविदा की शर्तें:–

- विशेष शर्ते आम शर्ते पर अवक्रमण होगा।

परिमाण विपत्र क्रय हेतु निम्नांकित शर्तो को पूरा करना होगा–

1. ग्रामीण विकास/जिला परिषद् में निबंधित संवेदक निविदा में हिस्सा ले सकेंगे। परिमाण विपत्र के क्रय हेतु निबंधन पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा।
2. परिमाण विपत्र का मुल्य (जो वापस नही होगा) राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुसाबनी के पदनाम से देय होगा।
3. समुचित श्रेणी से एक श्रेणी ऊपर के संवेदक निविदा में हिस्सा ले सकेंगे, जिसमें समुचित श्रेणी के संवेदको का नियमानुसार कार्य आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी।
4. कार्य आवंटन में समान कार्य के अनुभवी संवेदको को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. निविदादाता को योजना से संबंधित **Work Program** देना अनिवार्य होगा।
6. किसी भी परिस्थिति में योजना प्राक्कलन का पूनरीक्षण नहीं किया जाएगा।
7. निविदा के साथ जमा की जाने वाली अग्रधन की राशि जो परिमाण विपत्र में अंकित है (दो प्रतिशत निकटतम हजार रूपये में परिवर्धित) डाक घर के 05 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र या 3/5 वर्षीय डाक घर सावधि जमा पासबुक या बैंक सावधि जमा (F.D)समर्पित करना अनविार्य होगा, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मुसाबनी के पदनाम से प्रतिज्ञित होगा।
8. निविदा हेतु निर्धारित तिथि/समय के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
9. निविदा में स्थानीय संवेदकों (अनुमण्डल पदाधिकारी/उपायुक्त स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी।
10. डीजल, पेट्रोल अथवा कार्य में प्रयूक्त अन्य समाग्रीयों की कीमत में वृद्धि होने पर किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
11. निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य होगा लेकिन किसी प्रकार का अंतर मूल्य का दावा मान्य नहीं होगा।
12. निर्माण कार्य में उपयोग हेतु लघु खनिजों की आपूर्त्ती संवेदक को वैद्य श्रोत से सुनिश्चित करना अनिवार्य है, एतद् विषयक खनन विभाग द्वारा जारी स्वामित्व अदायगी से संबंधित स्वच्छता प्रमाण–पत्र समर्पित करने के उपरांत ही नियमानुसार विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
13. समुचित गुणवत्ता वाली निर्माण सामग्री यथा–सीमेंट, छड़, गिट्टी, बालु ईत्यादि निर्माण सामग्री की व्यवस्था संवेदक को अपने स्तर पर आपूर्ति करनी होगी। प्रखण्ड कार्यालय, मुसाबनी किसी भी निविदा सामग्री की व्यवस्था नहीं करेगी। किसी भी परिस्थिति में अंतर मूल्य भुगतान नहीं होगा।
14. पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची के संकल्प संख्या–2146(S) दिनांक–09.09.2020 के द्वारा निर्धारित नियम अनुमान्य होगा।
15. निविदादाता जिन्हें कार्य आवंटित होगा वे कार्य सबलेट नहीं करेंगे।
16. कार्य आवंटित होने के पश्चात तीन दिनों के अंदर एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ करना होगा अन्यथा निविदा रदद् कर अग्रधन की राशि जब्द कर ली जाएगी।
17. बिना करा बताये एक या सभी निविदा को रदद् करने का अधिकार या एक से अधिक संवेदक को आवंटन का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी या विभाग के समक्ष पदाधिकारी के पास सुरक्षित होगा।
18. निविदा के साथ अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र, आयकर प्रमाण–पत्र (18–19, 19–20, 20–21), अद्यतन जी0एस0टी0 रिर्टन प्रमाण–पत्र, UCAN निबंधन प्रमाण–पत्र एवं पैनकार्ड का अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
19. निविदादाता निविदा में भाग लेने के पूर्व ही कार्य एवं कार्यस्थल की जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट हो लेंगे।
20. समय पर कार्य पूर्ण नहीं करने पर नियमानूसार राशि कटौती कर ली जाएगी, विशेष परिस्थिति में ही समय वृद्धि मान्य होगी।
21. 01(एक) प्रतिशत राशि लेवर सेस वेलफेयर फंड हेतु विपत्र से कटौती किया जाएगा, जो वापस देय नहीं होगा।

22. आयकर एवं बिक्रीकर की राशि विपत्र से नियमानुसार कटौती की जाएगी जिसका समर्पण एवं वापसी की प्रक्रिया संबंधित विभाग से ही करा सकेंगे।

23. योजना प्रारंभ करने से पूर्व योजना कार्यान्वयन के दौरान एव योजना पूर्ण होने के उपरांत स्थल का फोटोग्राफी कराकर संवेदक तीन–तीन प्रतियों मे कार्यालय में (अपनी लागत से) समर्पित करेंगे।

24. कार्यान्वित की जा रही योजना का स्थल पर सुगोचर स्थान पर एक सूचना पट लगाया जाएगा जिसमें विभाग का नाम, योजना का नाम एवं पूरी विवरणी अंकित की जाएगी।

25. निविदादाता को कार्य पूर्ण होने के उपरांत संबंधित समिति सदस्य से पूर्णता प्रमाण पत्र देना होगा।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
मुसाबनी।
27/10/21

ज्ञापांक–1634 दिनांक–27/10/2021

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ प्रेषित निदेश है कि विज्ञापन का प्रकाशन सभी प्रमुख दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में करने का कष्ट किया जाय।

प्रतिलिपिः– NIC, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी
मुसाबनी।
27/10/2021